न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश –तृतीय , जहानाबाद ।

अग्रिम जमानत याचिका सं0–1206/2026

(सम्बन्धित काको थाना कांड सं0–258/2025 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 125, 109(1), 351(2), 352, 3(5) बी.एन.एस.)

1. शैलेन्द्र यादव उर्फ सलेन्द्र कुमार पिता–रहिश यादव उम्र–45 वर्ष,

2. परवेश यादव उर्फ प्रवेश कुमार पिता–समाधारी यादव उम्र–40 वर्ष,

3. कविन्द्र यादव पिता–समाधारी यादव उम्र–35 वर्ष।

सभी निवासी–ग्राम कोठिया, थाना काको, जिला जहानाबाद।

.....आवेदकगण ।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षीगण ।

आवेदकगण की ओर से :– श्री आनंद कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से :– श्री सुनील कुमार, विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

12.08.2026 आवेदक/अभियुक्तगण **शैलेन्द्र यादव उर्फ सलेन्द्र कुमार, परवेश यादव उर्फ प्रवेश कुमार एवं कविन्द्र यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं की गयी है और न ही कहीं लंबित है। आवेदकगण के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार सूचिका को सर पर मारने का आरोप अभियुक्ता एम.पी. देवी एवं अन्य तीन अभियुक्तों के विरुद्ध है, जिसकी अग्रिम जमानत याचिक इसी विद्वान न्यायालय द्वारा ए.बी.पी. नं0–1552/2025 दिनांकित 08.12.2025 के माध्यम से स्वीकृत की जा चुकी है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्ता एम.पी. देवी को छोड़कर शेष सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक/ अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.07.2025 को समय करीब 10 बजे दिन में सूचिका गाय बांधने गई थी तो उसी समय उसके पटीदार सलेन्द्र कुमार, परवेश कुमार, बिन्दु यादव, कवीन्द्र यादव, रहिश यादव, कुन्ती देवी सभी उसके दरवाजे पर चढ़कर लाठी–डंडा लेकर गाली–गलौज करने लगे तथा सूचिका को लाठी–डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिये एवं एम.पी. देवी सूचिका के माथा पर ईंटा एवं पत्थर से मारकर घायल कर दी, जिससे माथा से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई।

जमानत याचिका पर उभय पक्षों को सुना। मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के

Web Copy

लगातार

12.08.2026

अवलोकन से यह विदित होता है कि इस प्रासंगिक वाद में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक–अभियुक्तगण सलेन्द्र यादव, परवेश यादव एवं कविन्द्र यादव सहित प्राथमिकी में नामित अन्य सह–अभियुक्तगण बिन्दु यादव, रहिस यादव, कुंती देवी, एम.पी. देवी उर्फ पिंकी देवी के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा– 126(2), 115(2), 125, 109(1), 351(2), 352, 3(5) के तहत संज्ञान ले लिया गया। प्राथमिकी में आवेदक–अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप है कि वे लोग अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के साथ गाली–गलौज व मारपीट किये थे तथा सह–अभियुक्ता एम.पी.देवी द्वारा सूचिका के माथा पर ईंट–पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया गया था। केस दैनिकी के साथ इस कांड के जख्मी वदिनी रिंकु देवी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसके अनुसार जख्मी वादिनी रिंकु देवी के जख्म निम्न है :–

- Parieto- occipital region 2'' x 1'' x ½ ''

उक्त जख्मी का जख्म **साधारण प्रकृति** का पाया गया है। केस दैनिकी की कंडिका–29 में आवेदक–अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक–अभियुक्तों के विरुद्ध मारपीट करने का कोई स्पष्ट आरोप (Direct allegation) नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में **आवेदक–अभियुक्तगण शैलेन्द्र यादव उर्फ सलेन्द्र कुमार, परवेश यादव उर्फ प्रवेश कुमार एवं कविन्द्र यादव** के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर आवेदक के उपस्थित होने पर या उस अवधि में गिरफ्तार होने पर उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर 15,000/– (पन्द्रह हजार) रूपये की राशि के दो–दो समान प्रतिभूओं वाले बन्ध पत्र दाखिल करने पर बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) के शर्तों एवं इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार आवेदकगण के नजदिकी रिश्तेदार रहेगे और इस आशय का वंशावली दाखिल करेगें। कार्यालय इस आदेश की प्रति को मूल अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय में अविलम्ब भेजें।

लेखापित

S/d

(निहारिका)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जहानाबाद।
दिनांक–11.08.2026

Web Copy